भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 420

03 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत का क्षय-रोग (टीबी) उन्मूलन लक्ष्य

420. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रति मिलियन आबादी पर एक से कम क्षय-रोग का मामला हासिल करने का लक्ष्य रखा था, यदि हाँ, तो इस लक्ष्य की तुलना में राष्ट्रीय और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत ने वर्ष 2024 में एक लाख की आबादी पर 187 क्षय-रोग के मामले दर्ज किए हैं, यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय क्षय-रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत अब तक संस्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त लक्ष्य के पूरा नहीं होने के कारणों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा इसकी समय-सीमा क्या है और इसके लिए जवाबदेह एजेंसियाँ कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने क्षय-रोग के उन्मूलन के लिए समय-सीमा अथवा अंतरिम लक्ष्यों में कोई संशोधन किया है, यदि हाँ, तो संशोधित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) लागू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, टीबी की वार्षिक मामला दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले हो गई है, अर्थात् इसमें 21% की गिरावट आई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निक्षय पोर्टल पर वर्ष 2025 में अधिसूचित टीबी मामलों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, टीबी उन्मूलन की दिशा में गति बनाए रखने और प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।

- टीबी रोगियों को मुफ्त दवाएं और जांच का प्रावधान।
- दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मोबाइल निदान इकाइयों के माध्यम से संवेदनशील आबादी में टीबी के मामलों की गहन पहचान।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) से टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- टीबी के शीघ्र निदान को सुगम बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में आणविक (मॉलिक्यूलर) निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रति रोगी प्रति माह 1,000 रुपये की पोषण सहायता के रूप में निक्षय पोषण योजना।
- कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों को व्यापक बनाना।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आए लोगों और संवेदनशील आबादी को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की निगरानी।
- निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

संवेदनशील आबादी में टीबी की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने देश भर में टीबी मुक्त भारत अभियान लागू किया है, जिसकी प्रमुख रणनीतियों में लक्षणहीन लोगों सहित संवेदनशील आबादी की पहचान, मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए छाती के एक्स-रे द्वारा स्क्रीनिंग, सभी संभावित टीबी मामलों के लिए प्रारंभिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी), उपचार की समय पर शुरुआत और उसे पूरा करना, उच्च जोखिम वाले टीबी मामलों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट टीबी परिचर्या, पोषण सहायता और पात्र संवेदनशील आबादी को निवारक उपचार प्रदान करना शामिल है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक परिचर्या सेवाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। टीबी के लक्षणों, रोकथाम और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। स्कूलों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी के साथ जन भागीदारी गतिविधियां कार्यान्वित की जाती हैं।

टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु नकद अनुदान, आरसीएच फ्लेक्सीपूल के भाग के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें टीबी भी शामिल है। वर्ष 2018 से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार 2022-23 से आवंटित, वितरित और व्यय किए गए अनुदानों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-II (भाग क और भाग ख)** और **अनुलग्नक-III** के रूप में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03/02/2026 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार टीबी मामलों की अधिसूचना	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2025 (जनवरी-दिसंबर)**
	टीबी के अधिसूचित मामलों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	531
आंध्र प्रदेश	77320
अरुणाचल प्रदेश	2477
असम	49925
बिहार	217504
चंडीगढ़	6453
छत्तीसगढ	39186
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1334
दिल्ली	113809
गोवा	1894
गुजरात	131424
हरियाणा	88758
हिमाचल प्रदेश	14643
जम्मू एवं कश्मीर	11950
झारखंड	64433
कर्नाटक	74736
केरल	19385
लद्दाख	281
लक्षद्वीप	15
मध्य प्रदेश	176256
महाराष्ट्र	224648
मणिपुर	2548
मेघालय	4567
मिजोरम	2286
नागालैंड	4053
ओडिशा	59313
पुदुचेरी	3316
पंजाब	60744
राजस्थान	168515
सिक्किम	1176
तमिलनाडु	93511
तेलंगाना	86187
त्रिपुरा	3387
उत्तर प्रदेश	700235
उत्तराखंड	28301
पश्चिम बंगाल	101756

डेटा स्रोत: नि-क्षय (21 जनवरी 2026 तक)

दिनांक 03/02/2026 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) के अंतर्गत राज्यवार अनुदान का आवंटन, वितरण और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022-23			2023-24		
		आंवटन	वितरण	व्यय	आंवटन	वितरण	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	17.29	17.29	17.29	28.92	28.92	28.92
2	अंडमान और निकोबार	0.87	0.87	0.87	0.96	0.96	0.96
3	अरुणाचल प्रदेश	6.8	6.8	6.8	7.48	7.48	7.48
4	असम	13.04	13.04	13.04	14.35	14.35	14.35
5	बिहार	11.27	11.27	11.27	23.12	23.12	23.12
6	चंडीगढ़	0.78	0.78	0.78	0.86	0.86	0.86
7	छत्तीसगढ	8.9	8.9	8.9	14.07	14.07	14.07
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.93	0.93	0.93	1.02	1.02	1.02
9	दिल्ली	4.86	4.86	4.86	5.35	5.35	5.35
10	गोवा	0.72	0.72	0.72	0.93	0.93	0.93
11	गुजरात	19.24	19.24	19.24	28.18	28.18	28.18
12	हरियाणा	13.03	13.03	13.03	16.94	16.94	16.94
13	हिमाचल प्रदेश	3.47	3.47	3.47	4.7	4.7	4.7
14	जम्मू एवं कश्मीर	2.2	2.2	2.2	2.42	2.42	2.42
15	झारखंड	8.7	8.7	8.7	14.73	14.73	14.73
16	कर्नाटक	25.42	25.42	25.42	35.03	35.03	35.03
17	केरल	15.6	15.61	15.61	20.01	20.01	20.01
18	लद्दाख	1.02	1.02	1.02	1.12	1.12	1.12
19	लक्षद्वीप	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18
20	मध्य प्रदेश	15.39	15.39	15.39	27.89	27.89	27.89
21	महाराष्ट्र	25.9	25.89	25.89	41.26	41.26	41.26
22	मणिपुर	6.81	6.81	6.81	7.49	7.49	7.49
23	मेघालय	3.63	3.63	3.63	3.99	3.99	3.99
24	मिजोरम	4.74	4.74	4.74	5.21	5.21	5.21
25	नागालैंड	4.4	4.4	4.4	4.84	4.84	4.84
26	ओडिशा	10.78	10.78	10.78	18.48	18.48	18.48
27	पुदुचेरी	0.7	0.7	0.7	0.77	0.77	0.77
28	पंजाब	14.07	14.07	14.07	18.97	18.97	18.97
29	राजस्थान	16.66	16.66	16.66	27.63	27.63	27.63
30	सिक्किम	2.57	2.57	2.57	2.83	2.83	2.83
31	तमिलनाडु	15.9	15.9	15.9	25.36	25.36	25.36
32	त्रिपुरा	3.2	3.2	3.2	3.52	3.52	3.52
33	उत्तर प्रदेश	25.82	25.82	25.82	50.42	50.42	50.42
34	उत्तराखंड	5.19	5.19	5.19	6.79	6.79	6.79
35	पश्चिम बंगाल	15.37	15.37	15.37	28.63	28.63	28.63
36	तेलंगाना	12.51	12.51	12.51	17.91	17.91	17.91
कुल		337.94	337.94	337.94	512.36	512.36	512.36

** वर्ष 2022-23 से आगे के आवंटन, वितरण और व्यय में राज्यों को दी जाने वाली नकद अनुदान राशि शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा सीधे राज्यों को एक साझा कोष यानी आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें टीबी भी शामिल है। कार्यक्रम गतिविधियों का हिस्सा होने के कारण नकद अनुदान के लिए कोई कार्यक्रम-विशिष्ट आवंटन नहीं है।*

व्यय दिनांक 28.01.2026 तक।

दिनांक 03/02/2026 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) के अंतर्गत राज्यवार अनुदान का आवंटन, वितरण और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2024-25			2025-26		
		आंवटन	वितरण	व्यय	आंवटन	वितरण	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	40.18	40.18	40.18	183.41	49.06	49.06
2	अंडमान और निकोबार	0.01	0.01	0.01	3.53	0.4	0.4
3	अरुणाचल प्रदेश	1.31	1.31	1.31	27.31	0.23	0.23
4	असम	14.7	14.7	14.7	52.41	45.23	45.23
5	बिहार	33.18	33.18	33.18	147.2	66.58	66.58
6	चंडीगढ़	0.48	0.48	0.48	3.17	10.38	10.38
7	छत्तीसगढ	19.38	19.38	19.38	89.83	21.66	21.66
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.15	0.15	0.15	3.74	0.27	0.27
9	दिल्ली	24.09	24.09	24.09	19.6	138	138
10	गोवा	4.06	4.06	4.06	5.88	1.72	1.72
11	गुजरात	30.6	30.6	30.6	178.74	70.41	70.41
12	हरियाणा	9.48	9.48	9.48	107.48	10.74	10.74
13	हिमाचल प्रदेश	7.53	7.53	7.53	29.86	10.29	10.29
14	जम्मू एवं कश्मीर	7.03	7.03	7.03	8.85	16.05	16.05
15	झारखंड	21.25	21.25	21.25	93.98	26.57	26.57
16	कर्नाटक	40.94	40.94	40.94	222.21	108.88	108.88
17	केरल	13.56	13.56	13.56	126.91	23.74	23.74
18	लद्दाख	0.07	0.07	0.07	4.07	0.12	0.12
19	लक्षद्वीप	0.07	0.07	0.07	0.67	0.47	0.47
20	मध्य प्रदेश	37.63	37.63	37.63	177.47	118.56	118.56
21	महाराष्ट्र	74.66	74.66	74.66	261.71	195.05	195.05
22	मणिपुर	1.82	1.82	1.82	27.35	0.35	0.35
23	मेघालय	3.39	3.39	3.39	14.57	1.85	1.85
24	मिजोरम	0.78	0.78	0.78	19.02	0.88	0.88
25	नागालैंड	0.26	0.26	0.26	17.66	0.39	0.39
26	ओडिशा	18.66	18.66	18.66	117.8	50.77	50.77
27	पुदुचेरी	0.35	0.35	0.35	2.83	2.43	2.43
28	पंजाब	21.56	21.56	21.56	120.33	74.72	74.72
29	राजस्थान	25.71	25.71	25.71	180.99	87.24	87.24
30	सिक्किम	0.82	0.82	0.82	10.32	0.82	0.82
31	तमिलनाडु	77.56	77.56	77.56	161.44	103.34	103.34
32	त्रिपुरा	1.75	1.75	1.75	12.84	4.5	4.5
33	उत्तर प्रदेश	98.22	98.22	98.22	325.54	215.64	215.64
34	उत्तराखंड	7.49	7.49	7.49	43.13	10.69	10.69
35	पश्चिम बंगाल	56.34	56.34	56.34	181.56	113.66	113.66
36	तेलंगाना	39.25	39.25	39.25	113.59	100.17	100.17
कुल		**734.32**	**734.32**	**734.32**	**3097**	**1681.86**	**1681.86**

** वर्ष 2022-23 से आगे के आवंटन, वितरण और व्यय में राज्यों को दी जाने वाली नकद अनुदान राशि शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा सीधे राज्यों को एक साझा कोष यानी आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें टीबी भी शामिल है। कार्यक्रम गतिविधियों का हिस्सा होने के कारण नकद अनुदान के लिए कोई कार्यक्रम-विशिष्ट आवंटन नहीं है।*

व्यय दिनांक 28.01.2026 तक।

अनुलग्नक-III

दिनांक 03/02/2026 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2018 से 2025 तक निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण								
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
								(करोड़ रु. में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.24	0.18	0.16	0.18	0.20	0.21	0.30	0.28
आंध्र प्रदेश	11.58	20.09	17.48	24.06	24.22	23.08	27.98	4.45
अरुणाचल प्रदेश	0.69	0.73	0.73	0.69	0.82	0.72	0.69	0.04
असम	8.49	11.14	9.01	9.65	12.60	13.38	17.25	7.06
बिहार	15.75	22.95	19.79	29.76	36.63	39.79	52.61	34.55
चंडीगढ़	0.80	0.80	0.74	0.86	1.07	1.15	1.77	2.07
छत्तीसगढ	4.74	7.89	6.78	8.37	10.42	10.64	14.36	14.31
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.23	0.29	0.24	0.25	0.30	0.31	0.39	0.57
दिल्ली	8.48	12.56	12.11	17.35	20.95	21.87	34.39	35.60
गोवा	0.43	0.45	0.40	0.53	0.52	0.51	0.72	0.35
गुजरात	23.23	35.46	29.47	36.08	35.61	36.22	49.75	46.39
हरियाणा	13.41	16.27	15.25	17.77	20.42	21.18	24.38	7.97
हिमाचल प्रदेश	4.63	5.13	4.07	4.50	4.99	4.92	6.58	5.92
जम्मू एवं कश्मीर	2.11	2.74	2.46	3.03	3.23	3.22	4.55	3.72
झारखंड	9.75	12.34	11.36	12.26	14.07	15.58	21.66	20.94
कर्नाटक	17.51	20.46	15.82	16.92	14.06	6.45	3.38	0.10
केरल	5.23	6.06	5.52	5.77	5.96	5.14	6.91	4.21
लद्दाख	0.06	0.08	0.06	0.10	0.11	0.10	0.15	0.18
लक्षद्वीप	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
मध्य प्रदेश	32.43	38.90	33.51	42.25	49.24	47.69	65.61	55.01
महाराष्ट्र	36.57	47.89	43.04	53.38	66.03	59.33	72.67	36.15
मणिपुर	0.53	0.48	0.29	0.41	0.58	0.59	0.83	0.69
मेघालय	1.02	1.22	1.05	1.05	1.32	1.34	1.56	0.49
मिजोरम	0.58	0.62	0.65	0.62	0.71	0.81	0.90	0.49
नागालैंड	0.88	1.12	0.94	0.93	1.06	1.10	1.57	0.88
ओडिशा	12.77	14.33	12.51	14.45	16.83	17.25	22.71	25.59
पुदुचेरी	0.41	0.43	0.27	0.28	0.42	0.43	0.59	0.59
पंजाब	9.77	11.08	7.82	7.84	7.32	1.72	9.38	1.51
राजस्थान	27.12	31.22	29.96	35.86	42.75	39.95	53.87	48.47
सिक्किम	0.35	0.45	0.47	0.49	0.49	0.49	0.66	0.42
तमिलनाडु	17.00	24.39	18.44	21.95	25.55	27.35	35.68	35.84
तेलंगाना	9.45	12.35	11.82	13.09	17.87	9.85	9.08	0.96
त्रिपुरा	0.70	0.77	0.58	0.73	0.91	1.00	1.35	1.28
उत्तर प्रदेश	73.74	92.08	76.20	102.71	125.00	159.41	248.48	141.76
उत्तराखंड	4.80	6.21	5.36	6.10	7.38	7.32	10.60	12.38
पश्चिम बंगाल	30.82	25.48	17.98	19.47	24.74	27.28	27.44	23.12
डेटा स्रोत: नि-क्षय (29.01.2026 तक)								
